उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-176/2017/3036/26-3-2017-23(रिट)/2017

लखनऊः दिनांकः 10 नवम्बर, 2017

शुद्धिपत्र

रिट याचिका संख्या-25623(एम0एस0)/2016 श्रीमती संचिता चरन व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-25.10.2016 एवं अवमानना याचिका संख्या-400/2017 श्रीमती संचिता चरन बनाम श्री के0एस0मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-11.04.2017 के अनुपालन में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-92/2017/आर-909/26-3-2017-23(रिट)/2017, दिनांक-07.06.2017 द्वारा याची छात्रा की वर्ष 2014-15 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपया-57,610/- (रूपया सत्तावन हजार छः सौ दस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-83 की योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति से भुगतान की अनुमति प्रदान की गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक-07.06.2017 के विषय एवं प्रस्तर-1 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-25.10.2016 के स्थान पर दिनांक-06.04.2017 अंकित हो गया है। जिसे उपरोक्तानुसार संशोधित रूप में दिनांक-25.10.2016 पढ़ा जाय। शेष अन्य व्यवस्था यथावत रहेगी।

कामता प्रसाद

उपसचिव

पृ.संख्या-176/2017/3036(1)/26-3-2017 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद

उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in